



निकाय का नाम.....

### आवेदन पत्र

#### प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) – लाभुक आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण (BLC)

मैं श्री/श्रीमती/सुश्री .....(लाभुक का नाम) पिता/पति श्री.....  
(लाभुक के पिता/पति का नाम), मोहल्ला ..... वार्ड संख्या:..... थाना:.....  
अंचल:.....नगर निकाय:.....जिला:.....  
का निवासी हूँ। स्थानीय नगर निकाय द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के चतुर्थ घटक "लाभुक आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण (BLC)" अंतर्गत आवास योजना का लाभ लेने में इच्छुक हूँ। योजना के मार्गदर्शिका के अनुसार मैं निम्न आर्हता को पूर्ण करता/करती हूँ:-

1. मैं उक्त निकाय अंतर्गत अवस्थित.....मोहल्ला में रहता/रहती हूँ।
2. मैं उक्त निकाय/वार्ड में जून 2015 के पूर्व से वासित हूँ।
3. मैं कमजोर आय वर्ग का/की लाभुक हूँ। मेरी वार्षिक आय रू० 3 लाख से कम है।
4. मेरा या मेरे परिवार का पूरे भारत वर्ष मे कहीं भी पक्का मकान नहीं है।
5. मैं योजना अंतर्गत आवास प्राप्त करने हेतु लाभुक अंशदान की राशि रू० 1,37,100 नियमानुसार व्यय करने में सक्षम हूँ।
6. मैं वचनबद्ध करता/करती हूँ कि मैंने पूर्व में किसी भी आवास योजना का लाभ नहीं लिया है।
7. मैं इस आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न कर रहा/रही हूँ:-

- परिवारिक फोटो
- मतदाता पहचान पत्र की छायाप्रति
- बैंक अकाउंट हेतु पास बुक की छायाप्रति
- आय प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड की छायाप्रति
- भारतवर्ष में कहीं भी पक्का मकान नहीं होने का शपथ पत्र
- भू-स्वामित्व पत्र

8. मेरे द्वारा उपरोक्त दी गई कोई भी जानकारी गलत/छुपाया गया पाया जाता है तो निकाय द्वारा मेरे विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई करने पर मुझे आपत्ति नहीं होगी।

मैंने उपरोक्त वर्णित सभी तथ्यों को पढ़/सुन एवं समझ लिया है और सभी तथ्यों से सहमत हो कर अपना हस्ताक्षर/अँगूठा का निशान लगा रहा/रही हूँ।

लाभुक का हस्ताक्षर/अँगूठा का निशान  
लाभुक का नाम:





श्री नरेन्द्र मोदी  
माननीय प्रधानमंत्री



श्री हेमंत सोरेन  
माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड

## प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)

### चतुर्थ घटक : लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण के लिए अनुदान (BLC)


#### पात्रता:-

- आवेदक अथवा उसके परिवार के नाम पर भारत में कहीं भी पक्का मकान नहीं होना चाहिए।
- योजनान्तर्गत लाभुक परिवार में पति, पत्नी एवं अविवाहित बच्चे शामिल होंगे।
- आवेदक का सम्बंधित निकाय क्षेत्र में अपना जमीन होना चाहिए।
- लाभार्थी आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग के होंगे, जिनकी वार्षिक आय अधिकतम रु 3 लाख हो।
- लाभार्थी प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के शुभारम्भ की तिथि 17-06-2015 के पूर्व से नगर निगम/नगर परिषद्/नगर पंचायत क्षेत्र में निवास करते हों।
- लाभुक मिशन के विभिन्न घटकों में से किसी एक घटक का ही लाभ ले सकते हैं।

आवास की कुल लागत (लगभग) **रु० 3.62 लाख**

सरकार द्वारा अंशदान **रु० 2.25 लाख**

लाभुक का अंशदान (लगभग) **रु० 1.37 लाख**



### PMAY-U अंतर्गत आवास के निर्माण कार्य हेतु सरकार से प्राप्त होने वाली किशतों का विवरण

क्र० सं०	आवास निर्माण का चरण	किशत	प्राप्त होने वाली राशि
1	Foundation से plinth level तक निर्माण हेतु।	प्रथम किशत	रु० 45,000
2	Plinth level से lintel level तक निर्माण हेतु।	द्वितीय किशत	रु० 67,500
3	Lintel level से completion तक निर्माण हेतु।	तृतीय किशत	रु० 90,000
4	आवास निर्माण के पूर्ण होने का प्रमाण पत्र निर्गत होने के पश्चात्।	चतुर्थ किशत	रु० 22,500

उपरोक्त वर्णित पात्रता के अनुसार पात्र लाभुक लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण (BLC) के लिए अपना आवेदन सभी अनिवार्य दस्तावेजों के साथ नगर निकाय कार्यालय में दिनांक 05-02-2021 तक जमा कर सकते हैं।

\* प्रचार सामग्री बैंक ऑफ इंडिया के सौजन्य से

अधिक जानकारी के लिए अपने नगर निगम /नगर परिषद् /नगर पंचायत कार्यालय से संपर्क करें।

**टोल फ्री नं० 1800-120-2929**

नगरीय प्रशासन निदेशालय, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड सरकार | Follow us on: @JharkhandDMA | Website: dmajharkhand.in